UPAL010119332022

Presented on : 07-10-2022
Registered on : 07-10-2022
Decided on : 13-10-2022
Duration : 0 years, 0 months, 6 days

IN THE COURT OF
Addl. District Judge Court No. 04
AT ,Aligarh
(Presided Over by Sanjeev Kumar Singh)
Bail Application/6077/2022

सूखी पुत्र राम अवतार निवासी–मौहल्ला बोहरान थाना हरदुआगंज अलीगढ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

जमानत आदेश दिनाकित–13.10.2022

अभियुक्त सूखी की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–6077/2022, मुकदमा अपराध संख्या–333/2021 अर्न्तगत धारा– 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना हरदुआगंज, जनपद– अलीगढ जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त एक संगठित गिरोह का सदस्य हैं। आवेदक/अभियुक्त गैंगचार्ट के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या–282/2021 धारा–479,411 भारतीय दण्ड संहिता,मकदमा अपराध संख्या–283/2021 धारा–379,411 भारतीय दण्ड संहिता व मुकदमा अपराध संख्या–289/2021 धारा–457,380,411 भारतीय दण्ड संहिता का अभियुक्त है। उसके द्वारा अपने गैंग के अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से भौतिक एवं आर्थिक रूप से धनोपार्जन के लिये अवैध रूप से चोरी व नकवजनी करने से सम्बन्धित जघन्य अपराध कारित किया जाता है। इसका जनता में भय व आंतक व्याप्त है।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष को सुना एवं प्रकरण से सम्बन्धित केस डायरीं का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त किसी गैंग का लीडर अथवा सदस्य नही हैं। उसका सह अभियुक्तगण से कोई सम्बन्ध नही है। गैगस्टर में अभियुक्त के विरूद्ध मात्र तीन मुकदमा लम्बित होना दर्शाया गया है। पुलिस द्वारा जो गिरोह बताया गया है वह सरासर असत्य तथ्यों पर आधारित है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया

Digitally signed by SANJEEV KUMAR SINGH
Date: 2022.10.13 13:12:00 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाय।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त शातिर अपराधी है। अभियुक्त गैंग का सक्रिय सदस्य हैं। उसके द्वारा अपने गैंग के अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से भौतिक एवं आर्थिक रूप से धनोपार्जन के लिए अवैध रूप चोरी व नकवजनी करने से सम्बन्धित जघन्य अपराध कारित किया जाता है।

प्रकरण से सम्बन्धित केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–282/2021 धारा–479,411 भारतीय दण्ड संहिता,मकदमा अपराध संख्या–283/2021 धारा–379,411 भारतीय दण्ड संहिता व मुकदमा अपराध संख्या–289/2021 धारा–457,380,411 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत है, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

इस प्रकार प्रकरण की तथ्य, परिस्थिति, अपराध की प्रकृति व गम्भीरता तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–19(4)(ख)में निहित विधिक प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर मत व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त नही है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सूखी की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–6077/2022, मुकदमा अपराध संख्या–333/2021 अर्न्तगत धारा– 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना हरदुआगंज, जनपद– अलीगढ खारिज किया जाता है।

(संजीव कुमार सिंह)
विशेष न्यायाधीश(गैगेस्टर)/
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–4,
अलीगढ़।

13–10–2022